

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं.:—0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 12072/2013)/अलेसे-III/४९

दिनांक :- 20/04/2023

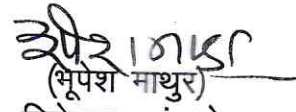
कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्न परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क. सं.	लिंक नं.	नाम श्री/सर्वश्री/श्रीमती	नाम परीक्षा	आयोजक संस्था	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	12072	राजेश कुमार शर्मा सहायक लेखाधिकारी-II	राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा-2023 विषय-वाणिज्य	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जायल (नागौर)

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधधीन होगी :-

- 1 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 2 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 4 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों से अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 5 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(लिंक नं. 12072/2013)/अलेसे-III/४९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 20/04/2023

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जायल (नागौर)।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जायल (नागौर)।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(कै. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II/III)